फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

मदनलाल पुत्र जम्मुराम बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्याः–58/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2020	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने चक 32 एम.ओ.डी. की जमाबन्दी खाता संख्या 29/1764 के पत्थर नम्बर 27/268(76) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 = 3.795 हैक्टेयर में से 0.127 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 18.12.2007 को गुरजन्टसिंह पुत्र महताबसिंह जाति रायसिख निवासी 32 एम.ओ.डी. से खरीद की थी। बैयनामा मे प्रार्थी के पिता का नाम जम्मूराम दर्ज है , साथ ही आधारकार्ड मे भी प्रार्थी के पिता का नाम जम्मूराम दर्ज है। भूलवश पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी में जम्मूराम के स्थान पर जालूराम कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम जम्मूराम हैं। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का हकदार है। इसलिए जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम जालूराम के स्थान पर जम्मूराम दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी, बैयनामा प्रति दिनांक 18.12.2007 व इन्तकाल संख्या 250 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। बैयनामा मे प्रार्थी के पिता का नाम जम्मूराम है जबकि राजस्व रिकार्ड मे जालूराम है जो दुरूस्त किया जाकर जम्मूराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी चक 32 एम.ओ.डी. सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 29/1764 के कॉलम न. 4 में प्रार्थी के पिता का नाम का दुरस्त किया जाकर **मदनलाल पुत्र जालूराम** के स्थान पर **मदनलाल पुत्र जम्मूराम** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनाक 03.01.2020 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	आदेश प्रेषित 3377 06/1/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.07 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested